दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 02-07-2025

भास्कर खास सिंगल बेंच का फैसला बरकरार, एयू को 30 दिनों में ऑटोनॉमस दर्जा देना होगा

अटल यूनिवर्सिटी की अपील हाई कोर्ट से खारिज, डीपी विप्र कॉलेज को अब ऑटोनॉमस दर्जा मिलने का रास्ता साफ

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

डीपी विप्र कॉलेज को ऑटोनॉमस दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अटल यूनिवर्सिटी की अपील खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कॉलेज को ऑटोनॉमस दर्जा देना नियमों के अनुरूप है। सिंगल बेंच ने कॉलेज की याचिका मंजूर करते हुए 30 दिनों के भीतर ऑटोनॉमस दर्जा देने के निर्देश दिए थे। डीपी विप्र कॉलेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 19 जनवरी 2024 को 2024-25 से 2033-34 तक के लिए ऑटोनॉमस दर्जा दिया था। लेकिन अटल यूनिवर्सिटी ने इस पर आपत्ति जताई थी। आरोप लगाया कि कॉलेज ने न तो आवश्यक सूचनाएं दीं और न ही विश्वविद्यालय के परिनियमों का पालन किया। यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि कॉलेज ने बिना पूर्व स्वीकृति के यूजीसी को आवेदन भेजा और जानबूझकर तथ्य छिपाए। इसी आधार पर यूनिवर्सिटी ने यूजीसी के पत्र को रद्द करने और ऑटोनॉमस की अधिसूचना को रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ अपील की गई थी।

डेढ़ साल से चल रहा विवाद

जनवरी 2023 में कॉलेज को नैक से ए ग्रेड मिला। इसके बाद ऑटोनॉमस के लिए आवेदन किया। अटल यूनिवर्सिटी ने 9 जून 2023 को यूजीसी को पत्र लिखकर कॉलेज को ऑटोनॉमस नहीं देने की अपील की। 19 जनवरी 2024 को यूजीसी ने कॉलेज को 10 साल के लिए ऑटोनॉमस का दर्जा दिया। 20 फरवरी 2024 को एयू ने कॉलेज से कहा कि अभी ऑटोनॉमस न बताएं। जुलाई 2024 में डीपी विप्र कॉलेज ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई।

वर्ष 1969 से संचालित हो रहा कॉलेज

इस फैसले को चुनौती देते हुए यूनिवर्सिटी ने डिवीजन बेंच में अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने अपील को भी निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने माना कि कॉलेज को नैक से एक ग्रेड मिला है। ISO 9001:2015 प्रमाणित है और वर्ष 1969 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है।

तय समय पर नहीं मिला जवाब-यूजीसी

यूजीसी ने हाई कोर्ट में बताया कि संबंधित विनियमों के तहत यदि कोई यूनिवर्सिटी निर्धारित समय में प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो यूजीसी को ऑटोनॉमस दर्जा देने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने पाया कि यूनिवर्सिटी ने खुद समय पर जवाब नहीं दिया। अब देरी से आपत्ति दर्ज कर यूनिवर्सिटी इसे रोकने की कोशिश कर रही है।